न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : सरोज ढाका, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24 / 18

पीर मोहम्मद आत्मज स्व. श्री अब्दुल अमीन, जाति मसलमान, निवासी सहकारी समिति के पीछे, बस स्टेण्ड, नई बस्ती, वार्ड नं. 10, मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रार्थी–प्रतिवादी)

बनाम

1. रोशन बाई पत्नी पीर मोहम्मद, आयु 45 साल
2. फारूख आत्मज श्री पीर मोहम्मद
3. रहमान आत्मज श्री पीर मोहम्मद
4. सफीना पुत्री श्री पीर मोहम्मद

जाति मुसलमान, निवासीगण सहकारी समिति के पीछे, बस स्टेण्ड, नई बस्ती, वार्ड नं. 10, मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(अप्रार्थी–वादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

दिनांक : 07.06.2019

उपस्थित : प्रार्थी अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल
अप्रार्थी अभिभाषक श्री भीमसिंह यादव

निर्णय

1- प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया।

2- प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि –

- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी बताते हुये अपना हक, अधिकार बताकर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।
- विवादित आराजी प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज है। कानूनन मुस्लिम विधि में कोई भी सम्पत्ति पुश्तैनी नहीं होती बल्कि सम्पत्ति जिस व्यक्ति के नाम होती है, उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है जिसमें मुस्लिम विधि के तहत पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र/पुत्रियों को कोई भी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी की उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादी नं. 1 के पुत्र/पुत्रियों वादीगण के कोई भी हक अधिकार निहित नहीं है और स्पष्ट है कि वादीगा प्रस्तुत वाद लाने का कोई भी वाद कारण प्रकट नहीं हुआ है और वाद वादीगण वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।
- स्वयं वादीगण के वादपत्र के अनुसार विवादित भूमि प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। कानूनन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी वाद रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

सकता है। विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी की नहीं है, न ही कब्जा काश्त है जिसके कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने व मेन्टेनेबल ना होने से खारिज किये जाने के योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

3- अप्रार्थी (वादीगण) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-R$_{11}$ CPC पेश कर प्रार्थना अस्वीकार की गई तथा अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की पत्नी व पुत्री व पुत्र है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण को उनके अधिकार से वंचित करना चाहता है जबकि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के परिवार के सदस्य है, आराजी में अप्रार्थीगण का हक अधिकार निहित है। यदि प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी को बेचने में सफल हो गया तो अप्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव है। अप्रार्थीगण उक्त वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत लेकर आये है, जिन्हें वाद प्रस्तुत करने का कानूनन पूरा अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों से इन्कार नहीं किया है कि अप्रार्थीगण उसके पत्नी, पुत्री व पुत्र नहीं है, अप्रार्थीगण का दावा मेन्टेनेबल है, जो मेरिट के आधार पर डिसाईड किया जायेगा। प्रार्थी प्रतिवादी आराजी को विवादग्रस्त आराजी को अकेले बेचने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण का दावा स्थायी निषेधाज्ञा का है, जो चलने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वेग व निराधार तथ्यों पर है और खारिज होने योग्य है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे अप्रार्थीगण को अधिकार से वंचित किया जा सके। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के बहस में आने पर हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-R$_{11}$ CPC सुनी। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रकरण के पक्षकारान मुसलमान है तथा प्रकरण का निस्तारण मुस्लिम विधि के अनुसार किया जायेगा। प्रकरण में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया गया है जबकि उक्त धारा में केवल खातेदार काश्तकार ही अपना दावा पेश कर सकता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण के वादीगण खातेदार काश्तकार नहीं है जिससे यह दावा विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-R$_{11}$ CPC यह वाद खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपने वाद पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है जिसको प्रतिवादी क्रम 1 खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज कर वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

5- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तर्गत O-R$_{11}$ CPC के कथनों पर मनन किया और पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। प्रकरण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-R$_{11}$ CPC में प्रार्थी द्वारा पक्षकारान के वाद का हेतुक प्रकट नहीं होने एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने तथा वाद के मुस्लिम विधि द्वारा निर्धारित होने के कारण वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है। उक्त धारा 188 RTA के अन्तर्गत केवल अभिलिखित काश्तकार खातेदार द्वारा ही वाद लाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 1 अभिलिखित काश्तकार है और विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी क्रम 1 के वारिसान है। वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात को पुश्तैनी आराजी कहा है किन्तु मुस्लिम विधि में ancestral & self acquired property का concept recognised नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 जीवित है। विवादित आराजी में वादीगण का नाम कहीं दर्ज नहीं है। वादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित काश्तकार खातेदार नहीं है तो उन्हें धारा 188 RTA के अन्तर्गत वाद लाने का अधिकार भी नहीं है अर्थात वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित है। प्रस्तुत वाद में वादीगण वाद हेतुक

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकट करने में भी असफल रहे है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पैतृक व स्वअर्जित सम्पत्ति का concept recognised नहीं है। जब तक व्यक्ति जीवित है, वह सम्पत्ति का owner है तथा सम्पत्ति उसकी absolute property है तथा किसी भी विधिक उत्तराधिकारी को उसकी मृत्यु पूर्व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मुस्लिम विधि के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु पश्चात उसके द्वारा धारित सम्पत्ति ही heritable property है। मुस्लिम विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जन्म से सम्पत्ति में अधिकार नहीं है, ancestral की मृत्यु उपरान्त ही जीवित उत्तराधिकारी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजी पीर मोहम्मद के स्वत्व की है, जिसमें प्रतिवादी की मृत्यु पूर्व किसी के भी अधिकार निहित नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण के वादीगण अभिलिखित काश्तकार खातेदार नहीं होने से यह वाद विधि द्वारा वर्जित है और वाद का हेतुक भी प्रकट नहीं हो रहा है। प्रकरण के पक्षकार मुस्लिम होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 के जीवित होने की स्थिति में उसकी मृत्यु के पूर्व वादीगण के अधिकार निहित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07 जून, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.) सत्यमेव जयते

(सरोज ढाका) R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, R.A.S.

बजनवान :–

पीर मोहम्मद आत्मज स्व. श्री अब्दुल अमीन, जाति मसलमान, निवासी सहकारी समिति के पीछे, बस स्टेण्ड, नई बस्ती, वार्ड नं. 10, मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रार्थी–प्रतिवादी)

बनाम

1. रोशन बाई पत्नी पीर मोहम्मद, आयु 45 साल
2. फारूख आत्मज श्री पीर मोहम्मद
3. रहमान आत्मज श्री पीर मोहम्मद
4. सफीना पुत्री श्री पीर मोहम्मद

जाति मुसलमान, निवासीगण सहकारी समिति के पीछे, बस स्टेण्ड, नई बस्ती, वार्ड नं. 10, मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(अप्रार्थी–वादीगण)

दावा बाबत : 188 R.T.A.
मुकदमा नम्बर : 24 / 18
निर्णय दिनांक : 07-06-2019

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी (अप्रार्थी) अभिभाषक श्री भीमसिंह यादव एवं प्रतिवादी (प्रार्थी) अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की बहस सुनने के बाद आज तारीख 07–06–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सरोज ढाका, आर.ए.एस. के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC के निपटारे के लिये पेश होने पर प्रस्तुत प्रकरण के वादीगण अभिलिखित काश्तकार खातेदार नहीं होने से वाद के विधि द्वारा वर्जित होने, वाद का हेतु प्रकट नहीं होने तथा प्रतिवादी क्रम 1 के जीवित होने की स्थिति में उसकी मृत्यु के पूर्व वादीगण के अधिकार निहित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 07.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.) सत्यमेव जयते

(सरोज ढाका) R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियां के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner